

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :- यू0डी0खान
आई.ए.एस.

अपील संख्या 140/2020

1. शौकत अली पुत्र युसुफ अली, जाति व्यापारी, निवासी वार्ड न0 17, चिडावा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनू।
2. मनुदा पत्नि शौकत, जाति व्यापारी, निवासी वार्ड न0 17, चिडावा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनू।
3. उम्मेद पुत्र शौकत, जाति व्यापारी, निवासी वार्ड न0 17, चिडावा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनू।
4. नसीम पत्नि उम्मेद, जाति व्यापारी, निवासी वार्ड न0 17, चिडावा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनू।
5. निर्याकत पुत्र शौकत अली, जाति व्यापारी, निवासी वार्ड न0 17, चिडावा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनू।
6. शौकत पुत्र शौकत अली, जाति व्यापारी, निवासी वार्ड न0 17, चिडावा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनू।

— अपीलान्ट

बनाम

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी चिडावा एवं एस0डी0एम0 चिडावा, जिला झुंझुनू।

— रेस्पोजेन्ट

अपील अ0 धारा 17 बी The Rajasthan Municipalities Registration of Reectires 1974 खिलाफ दिनांक 09.07.2020 निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी नगर पालिका चिडावा एवं एस0डी0एम0 चिडावा बाबत अपीलान्टगण का नाम नगरपालिका चिडावा के वार्ड नम्बर 17 की मतदाता सूची में स्थानान्तरण बाबत।

उपस्थित

1. मो0 खादीम, एडवोकेट— अपीलांट की ओर से
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक— रेस्पोजेन्ट की ओर से

आदेश

दिनांक 19.10.2020

उक्त विषयक अपील विद्वान निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस0डी0एम0) चिडावा के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलान्टगण के अनुसार अपीलान्टगण नगरपालिका चिडावा के वार्ड न0 17 के मूल निवासी है। रेस्पोजेन्ट नम्बर 1 ने गलत रूप से अपीलान्टगण का नाम वार्ड नम्बर 17 नगरपालिका चिडावा की मतदाता सूची में स्थानान्तरण कर नहीं जोडा जिससे छुब्ध होकर अपीलान्टगण ने निम्न आधार पर अपील पेश की है कि अपीलान्टगण वार्ड नम्बर 17 के मूल निवासी है। अपीलान्टगण का नाम निर्वाचन नामावली में गलत रूप से वार्ड नम्बर 6 की वोटर लिस्ट में दर्ज कर दिया गया था। जबकि अपीलान्टगण वार्ड नम्बर 6 में नहीं रहते है एवं ना ही उनका वार्ड नम्बर 6 में कोई मकानात् है। अपीलान्टगण ने अपने आवासीय वार्ड नम्बर 17 में अपने नाम स्थानान्तरण करवाये जाने बाबत विधिवत् आवेदन दस्तावेज सहित रेस्पोजेन्ट नम्बर 1 के कार्यालय में बी0एल0ओ0 के मार्फत जमा करवाये थे। किन्तु रेस्पोजेन्ट ने बिना दस्तावेजों का अवलोकन किये ही अपीलान्टगण का आवेदन खारिज कर वार्ड नम्बर 6

न्यायालय जिला कलक्टर झुंझुनू

की मतदाता सूची में क्रमशः 21, 12, 22, 24, 23, 25 पर यथावत कर दिया, जबकि अपीलान्तगण वार्ड नम्बर 17 के मूल निवासी है। अपीलान्तगण के रिहायश बाबत हल्का पटवारी द्वारा बिना भौतिक सत्यापन किये महज यह लिख देना कि अपीलान्तगण वार्ड नम्बर 6 में रहते हैं, पर्याप्त नहीं है जबकि अपीलान्तगण वार्ड नम्बर 17 में रहते हैं जहां आवासीय मकान है एवं तमाम दस्तावेज वार्ड नम्बर 17 पुराना वार्ड नम्बर 10 के ही हैं। किन्तु रेस्पोजेन्ट ने बिना दस्तावेजों पर गौर किये अपीलान्तगण का नाम वार्ड नम्बर 17 की निर्वाचन नामावली के लिए स्थानान्तरण नहीं कर भारी भूल की है। अतः अपील मय शपथ पत्र पेश कर अतः कि अपील अपीलान्तगण स्वीकार फरमाई जाकर अपीलान्तगण का नाम नगरपालिका के वार्ड नम्बर 6 के क्रमांक 21, 12, 22, 24, 23, 25 से वार्ड नम्बर 17 में स्थानान्तरित किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्त ने बहस के दौरान अपील तथ्यों की पुनरावली की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्तगण वार्ड नम्बर 17 के मूल निवासी है। अपीलान्तगण का नाम निर्वाचन नामावली में गलत रूप से वार्ड नम्बर 6 की वोटर लिस्ट में दर्ज कर दिया गया था। जबकि अपीलान्तगण वार्ड नम्बर 6 में नहीं रहते हैं एवं ना ही उनका वार्ड नम्बर 6 में कोई मकानात् है। अपीलान्तगण ने अपने आवासीय वार्ड नम्बर 17 में अपने नाम स्थानान्तरण करवाये जाने बाबत विधिवत् दस्तावेज सहित रेस्पोजेन्ट नम्बर 1 के कार्यालय में बी0एल0ओ0 के मार्फत जमा करवाये थे। किन्तु रेस्पोजेन्ट ने बिना दस्तावेजों का अवलोकन किये ही अपीलान्तगण का आवेदन खारिज कर वार्ड नम्बर 6 की मतदाता सूची में क्रमशः 21, 12, 22, 24, 23, 25 पर यथावत कर दिया। अपीलान्तगण के रिहायश बाबत हल्का पटवारी द्वारा बिना भौतिक सत्यापन किये महज यह लिख देना कि अपीलान्तगण वार्ड नम्बर 6 में रहते हैं, पर्याप्त नहीं है जबकि अपीलान्तगण वार्ड नम्बर 17 में रहते हैं जहां आवासीय मकान है एवं उभय दस्तावेज वार्ड नम्बर 17 पुराना वार्ड नम्बर 10 के ही हैं। किन्तु रेस्पोजेन्ट ने बिना दस्तावेजों पर गौर किये अपीलान्तगण का नाम वार्ड नम्बर 17 की निर्वाचन नामावली के लिए स्थानान्तरण नहीं कर भारी भूल की है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अपीलान्तस के नाम नगर पालिका चिडावा के वार्ड नम्बर 6 में हटाकर वार्ड नं0 17 की मतदाता सूची में जोड़े जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक (वकील रेस्पोजेन्ट) ने बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलान्त के तर्कों का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत का आदेश नियमानुसार है। अदालत अपीलान्त ने बी0एल0ओ0 द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के अनुसार सही आदेश किया है। अतः अपील अपीलान्त खारिज करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अपील का निर्णय अपीलान्तगण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। बी0एल0ओ0 की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्तस नगर पालिका चिडावा के वार्ड नं0 6 में ही निवास करते हैं। अपीलान्त ने वार्ड नं0 17 में निवास करने या दस्तावेज होने का कोई दस्तावेजी साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस0डी0एम0) चिडावा द्वारा पारित आदेश उचित है। अतः अपील का निर्णय मैरिट के आधार पर किया जाकर अपील अपीलान्तस खारिज की जाती है। अदालत मातहत का निर्णय यथावत रखा जाता है। मातहत रेकार्ड आदेश प्रति सहित लौटाया जावे। वार्ड नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 19.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0खान)

जिला कलक्टर, झुंझुनूं

जिला कलक्टर झुंझुनूं